

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/पीजी-2019/2019/

दिनांक : 07/02/2019

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/
समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज/
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं
समस्त नियंत्रण अधिकारी
राजस्थान।

विषय:-प्री-पीजी में आवेदित सेवारत कोटे के तहत पात्रता के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय में प्री-पीजी-2019 के लिए आवेदन पत्र आपके माध्यम से प्रमाणित हो कर सूची सलग्न कर भिजवाई गई थी, जिसका दिनांक 07.02.19 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता की मेल आईडी rajdpcgaz@gmail.com पर अभ्यर्थी के सम्बन्ध में कोई सूचना अपूर्ण है अथवा सही नहीं है की सूचना चाही गई थी जिसे दिनांक 07.02.2019 के स्थान पर 12.02.2019 तक बढ़ाई जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि किसी अभ्यर्थी के सदर्भ में कोई सूचना यदि भविष्य में सही नहीं पाई जाती है अथवा कोई न्यायिक विवाद उत्पन्न होता है अथवा किसी चिकित्सक को गलत सूचना की वजह से लाभ प्राप्त हो जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आप स्वयं एवं सम्बन्धित चिकित्सक की होगी।



अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/पीजी-2019/2019/1563 दिनांक : 07/02/2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर के द्वारा दिये गये दुरभाष के निर्देशों की अनुपालना में।
2. निदेशक (ईएसआई/मोबाईल सर्जिकल यूनिट) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके अधिनस्थ को आप अपने स्तर से भी उक्त के सम्बन्ध में पाबन्द करें।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेब-साईट एवं सम्बन्धित अधिकारी मेल आईडी पर अप-लोड करावें
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।